



2026:AHC:125700

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18683 वर्ष 2026

मोहम्मद आसिफ अख्तर

आवेदक(गण)

बनाम

यूपी राज्य

विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण)के लिए अधिवक्ता : मोहम्मद नौशाद सिद्दिकी, सत्य धीर सिंह जादौन

विपक्षी पक्ष(गण)के अधिवक्ता : आशियाम नासिर जी.ए. शाबिना बेगम

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री साया धीर सिंह जादौन, प्रथम शिकायतकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री शबीना बेगम और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री जी.पी. सिंह की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत आवेदन मामले में आवेदक को मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है। यह मामला अपराध संख्या 131/2026, धारा 69, 115(2), 351(3), 352 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन कासिमाबाद, जिला गाजीपुर के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने विवाह का झूठा वादा करके पीड़िता के साथ बलात्कार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक और पीड़िता पिछले दो वर्षों से आपसी सहमति से संबंध में थे। उन्होंने यह भी बताया कि जब आवेदक का पीड़िता से विवाह संपन्न नहीं हो सका, तब यह मामला दर्ज किया गया। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि वह आवेदक से प्रेम संबंध में थी और उसने उससे विवाह का वादा किया था, लेकिन वह वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक 11.04.2026 से जेल में है, और यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इसके विपरीत, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता जमानत के आवेदन का पुरजोर विरोध किया है उनका कहना है कि आवेदक ने शादी का झूठा वादा करके पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और पीड़िता की जिंदगी बर्बाद कर दी।

5. विद्वान एजीए ने भी जमानत की अर्जी का विरोध किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने विवाह का झूठा वादा करके पीड़िता के साथ बलात्कार किया। यह भी बताया गया है कि आवेदक और पीड़िता पिछले दो वर्षों से आपसी सहमति से संबंध में थे। यह भी बताया गया है कि जब आवेदक का पीड़िता से विवाह संपन्न नहीं हो सका, तब यह मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि वह आवेदक से प्रेम करती थी और उसने उससे विवाह का वादा किया था, लेकिन वह वादा पूरा नहीं हुआ। यह भी बताया गया है कि आवेदक 11.04.2026 से जेल में बंद है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** 2025 एससीसी आनलाइन एससी 3038 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी आनलाइन आल 6765 मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **मोहम्मद आसिफ अख्तर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. बांड स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा

13. सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने संबंधी नीतिगत रणनीति मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021, दिनांक 31.01.2023, (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को इस आदेश की एक प्रति आवेदक को जेल अधीक्षक, गाजीपुर के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल द्वारा 24 घंटे के भीतर भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

5 जून, 2026

आरकेएम